

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक : पीएस/पीएचएस/09/450

दिनांक: 7.11.2009

9.11.09

जिला कलैक्टर,  
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/  
अजमेर/बीकानेर/कोटा

विषय :- चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इन्फ्लूएन्जा ए H1N1 के रोगियों के निदान एवं उपचार के संबंध में।

राज्य के 30 निजी चिकित्सालयों, जिनके पास वेन्टीलेटर एवं आई सी यू की सुविधा उपलब्ध है को इन्फ्लूएन्जा ए H1N1 के रोगियों के उपचार हेतु अधिकृत किया गया है। (सूची संलग्न) आप अपने जिले में स्थित इन चिकित्सालयों को निर्देशित करें कि निजी चिकित्सालय में आने वाले इस रोग से ग्रसित रोगियों के उपचार के लिए मना नहीं करें तथा आवश्यकतानुसार इन्हें चिकित्सालयों में भर्ती कर उनके आवश्यक निदान एवं उपचार की व्यवस्था करें। इसके लिये आवश्यक जांच एवं उपचार के काम में ली जाने वाली दवाईयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें।

आप द्वारा की गई कार्यवाही से तुरन्त अवगत करावें।

भवदीय



( जी एस संधु )

प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक : पीएस/पीएचएस/09/450

दिनांक: 7.11.2009

9-11-09

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-संबंधित
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित



प्रमुख शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग